फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

जगदीश बनाम पदम चन्द व अन्य

केस संख्या 135/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
21.09.2021	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्सी ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/2021/279 दिनांक 19.08.2021 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के राजस्व वाद संख्या 359/2016 ब उनवानी जगदीश बनाम पदमचन्द का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 को हो गया है। उक्त मामले में वादीगण के द्वारा दिनांक 19.08.2021 को न्यायालय के आदेश दिनांक 01.05.2018 बाबत इजराय का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो प्रकरण संख्या 37/21 पर दर्ज होकर विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई कर रहे उपखण्ड अधिकारी बस्सी के वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने वादीगण का रिश्तेदार होने का कथन कर प्रतिवादीगण द्वारा बेबुनियाद आक्षेप लगाये जाने की सम्भावना व्यक्त कर इस प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से प्राप्त पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी श्री शिवचरण शर्मा वादीगण के रिश्तेदार है। इसलिए पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप लगाये जाने की पूर्ण सम्भावना है। अतः न्याय हित में उक्त पत्रावली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी से न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को अन्तरण किया जाता है। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय प्रकरण दर्ज कर मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पत्रावली नम्बर से कम हो। 21/9/21 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर	